न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3592–एक/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–10–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, राधौगढ़, जिला गुना के प्रकरण कमांक 7/2014–15

.....

भरोसा पुत्र श्री मायाराम चमार
निवासी टोडी मजरा हरीपुरा
तहसील राधौगढ़ जिला गुना म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–देवलाल पुत्र श्री जगन्नाथ जोधा
निवासी रजनाखेड़ी तहसील राधौगढ़
2–मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला गुना म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0एल0धाकड़, अभिभाषक–आवेदक
श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 2 शासन

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 2/12/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राधौगढ़ जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–10–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार राधौगढ के आदेश दिनांक 19–9–14 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी राधौगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई । साथ ही संहिता की धारा 52 के

अन्तर्गत स्थगन हेतु आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 7/अपील/2014–15 दर्ज कर दिनांक 15–10–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में उसे प्रमाणित करने का अवसर आवेदक को नहीं दिया गया है, जबकि विधि अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को कथन से प्रमाणित कराना चाहिये था । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जब प्रकरण दर्ज कर लिया गया था तब उन्हें स्थगन देना आवश्यक था, क्योंकि स्थगन नहीं देने से प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदक से लिया जाकर उसे प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल कर दिया जायेगा, जिससे उसे अपूर्णनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर उनके समक्ष प्रचलित अपील प्रकरण में स्थगन दिये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदक कमांक 1 को दिये जाना है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन नहीं देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि यदि अनावेदक कमांक 1 को प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ, तब उसे अपूर्णनीय क्षति होने की पूर्ण संभवना है और स्थगन की आड़ में आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदक को सौंपना नहीं चाहता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित अपील को लंबित रखने के उद्देश्य से की गई है, अतः निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ प्रतिउत्तर में अनावेदक कमांक 2 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के

समक्ष प्रस्तुत स्थगन आवेदन निरस्त कर स्थगन नहीं देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता एवं अनियमितता नहीं की गई, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

6/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 19–9–2014 के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है । तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत पारित आदेश के संबंध में स्थगन नहीं दिया गया है । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि स्थगन के संबंध में पीठासीन अधिकारी प्रकरण में आये तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र है और सामान्यतः वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा स्थगन के संबंध में पारित आदेश में हस्तक्षेप करना उचित कार्यवाही नहीं है । इस कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन के संबंध में पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राधौगढ़ जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–10–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर